दिनांक 25.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 32/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद शामली/थाना झिंझाला</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे के 05 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2024 को थाना झिंझाला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सुन्दरनगर यमुना बांध मार्ग जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सोनू उर्फ दलजीत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे के 05 हजार 500 रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो जनपद शामली से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सोनू उर्फ दलजीत निवासी ग्राम सुन्दरनगर चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–लूटे के 05 हजार 500 रूपये नगद।

2–लूट के सोने के आभूषण।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना सेवरही

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 हजार रूपये नगद व 30 हजार रूपये की जारी मुद्रा**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2024 को थाना सेवरही, थाना तमकुहीराज, थाना तरयासुजान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिनटोलिया आम के बगीचे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुस्तकिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 हजार रूपये नगद व 30 हजार रूपये की जारी मुद्रा, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेवरही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मुस्तकिम निवासी भूलिया अगरवा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–10 हजार रूपये नगद व 30 हजार रूपये की जारी मुद्रा।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

<u>जनपद चन्दौली/थाना सकलडीहा</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 91 हजार रूपये नगद व 45 हजार रूपये बैंक खाते में सीज**
- **05 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोय मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2024 को थाना सकलडीहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम फुल्ली के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुहेल 2–अमित को गिरफ्तार किया गया एवं 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 01 लाख 91 हजार रूपये नगद व 45 हजार रूपये बैंक खाते में सीज, 05 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोय मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.09.2024 को थाना सकलडीहा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सकलडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सकलडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सुहेल निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।

2—अमित निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 01 लाख 91 हजार रूपये नगद व 45 हजार रूपये बैंक खाते में सीज।

2—05 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोय मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद बरेली/थाना कैण्ट</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 25 हजार रूपये नगद**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2024 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनपुरिया तिराहा के पास से अभियुक्त हरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 25 हजार रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2024 को थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरीश कुमार निवासी मो0परा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूट के 25 हजार रूपये नगद।

2–लूट के सोने के आभूषण।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **03 हजार 50 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2024 को थाना गाजीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवरी तहबलपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, 03 हजार 50 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना ललौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ललौली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी रसूलपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—03 हजार 50 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सुशान्त गोल्फ सिटी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, मोबाइल फोन, 03 घड़ी आदि बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इकाना अण्डरपास के पास से अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, मोबाइल फोन, 03 घड़ी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.09.2024 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी बलुआभार थाना श्याम देउवा जनपद महराजगंज, हालपता ए ब्लाक ईमार एलआईजी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, मोबाइल फोन, 03 घड़ी आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 हजार 850 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईको पार्क कट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त वसीम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त कादिर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 हजार 850 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त वसीम के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त कादिर के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम निवासी डासना थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—कादिर निवासी चार बिस्वा उस्मान कॉलोनी डासना गेट थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—04 हजार 850 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना पवई

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 24.09.2024 को थाना पवई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीनगर तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—राजेन्द्र उर्फ राजू उर्फ पप्पू 2—रामवेचन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के पार्टस आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना पवई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र उर्फ राजू उर्फ पप्पू निवासी लोनरा प्रतापपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुलतानपुर।

2—रामवेचन निवासी ग्राम दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 09 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के पार्टस आदि।

- **<u>जनपद बांदा/थाना चिल्ला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना चिल्ला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विक्रम 2–लखना 3–मुन्ना को सश्रम आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना सेहरामऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना सेहरामऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामगोपाल 2–रामदयाल को आजीवनन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसेना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरसेना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अंकुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना चौरी–चौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चौरी–चौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के

अन्तर्गत अभियुक्त अजीत को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मसौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0शरीफ को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————